प्रारुप–11

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

परियोजना का नाम – माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य। (लम्बाई 7.25 कि0मी0)

वनभूमि की मॉग का औचित्य एवं विवरण

जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में **माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में मोटर मार्ग** का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 1730/111(2)/14–03(मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 24 सितम्बर 2014 द्वारा 25.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु ₹ 243.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है। **(छायाप्रति संलग्न)** ,

प्रस्तावित संरेखण के अनुसार इस मार्ग में आरक्षित वनभूमि 4.69 है0, सिविल सोयम वनभूमि 0.28 तथा नापभूमि 0.385 है0, मक डिस्पोजल हेतु नाप भूमि 0.329 है0 एवं कुल वनभूमि का क्षेत्रफल 4.69 है0 है। भूवैज्ञानिक द्वारा इस मार्ग का सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा प्रस्तावित संरेखण को उपयुक्त बताया गया है। प्रस्ताव में वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु प्रभावित होने वाले वन का क्षेत्रफल एवं पेड़ो की संख्या कम करने हेतु मार्ग की चौड़ाई केवल 7.00 मीटर ली गयी है। यह मार्ग राष्टीय राज मार्ग–94 ऋषिकेश–हर्षिल–उत्तरकाशी–गंगोत्री तथा ऋषिकेश– बद्रीनाथ राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या–58 को आपस में जोडेगा, जिससे इस मार्ग को आवश्यकता पडने पर वैकल्पिक मार्ग के रुप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इस मार्ग के बनने से ग्राम सभा पसर एवं रौन्देली के निवासियों को अपने कृषि उत्पाद को मण्डी ले जाने हेतु सुगम मार्ग उपलब्ध हो जायेगा, इसके अतिरिक्त स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध हो जायेगा क्योंकि यह क्षेत्र शिवपुरी राफ्टिंग केन्द्र के समीप है। स्थानीय युवाओं द्वारा अपने नाप खेतों में कैम्पिंग टैन्ट भी लगाया जा सकता है व यात्रियों को लाने व ले जाने हेतु यातायात के रूप मे अपने निजी वाहन को उपयोग किये जाने हेतु भी रोजगार प्राप्त हो किया जासकता है। इसके अतिरिक्त शिवपुरी से जाजल तक सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा होटल, कॉटेज भी बनाकर स्वयं को रोजगार प्रदान कर सकता है तथा साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हो जायेगा। बेराजगारी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। अतः इस मार्ग के बन जाने से इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समय भी कम हो जायेगी।

शिवपुरी वर्तमान में रेलवे स्टेशन का कार्य गतिमान है, इस मार्ग के बन जाने से कर्णप्रयाग एवं दिल्ली जाने वाले यात्रियों को कम समय में यात्रा करना उपलब्ध हो जायेगा। यह भी अवगत कराना है कि यह इस तहसील का सबसे पिछडा क्षेत्र है जहां के निवासियों को अभी भी सामाजिक आर्थिक व्यावसायिक रूप से उपर उठाने में यह मार्ग महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा।

मार्ग से निम्नलिखित ग्रामों को यातायात की सुविधा प्राप्त होगी।

क0सं0	ग्राम	कोड संख्या	परिवारों की संख्या	आबादी
1	शिवपुरी	044	60	322
2	हाड़ीसेरा	0044439	79	367
3	रोन्देली	044447	35	169
4	मटियाला	044494	18	71
5	पसर मय क्यारक	044498	24	113
6	ढाईगला	044495	10	38
			योग–	1080

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः–माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य।(लम्बाई 7.25 कि0मी0)

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 1730/111(2)/14–03(मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 24 सितम्बर 2014 द्वारा 25.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु ₹ 243.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न) जिसके अनुपालन में विभाग द्वारा शिवपुरी से जाजल तक का विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया, जिसके अनुसार शिवपुरी से जाजल तक मार्ग की वास्तविक लम्बाई 23.00 कि0मी0 आती है।

शिवपुरी जो कि, इस मार्ग के कि0मी0 0.000 में स्थित है, से ढाईगला तक 10.000 कि0मी0 लम्बाई का वनभूमि हस्तान्तरण प्रकरण पर भारत सरकार के पत्रांक संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/54/2012 /एफ0सी0 569 दिनांक 26.06.2015 के द्वारा 10.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

मार्ग के कि0मी 10.00 से कि0मी0 17.25 तक आरक्षित वनभूमि / सिविल वनभूमि एवं नाप भूमि मार्ग निर्माण से प्रभावित होगी। मार्ग कि0मी0 17.25 कि0मी0 से कि0मी0 23.00 तक पूर्व में निर्मित किया जा चुका है। जिसका वनभूमि हस्तान्तरण भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/186/2005 /एफ0सी0 2967 दिनांक 02.02.2006 द्वारा 3.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु लोक निर्माण के पक्ष में किया जा चुका है। इस प्रकार यह वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव कि0मी0 10.000 (ढाईगला) से कि0मी0 17.25 के मध्य आ रही वनभूमि हेतु गठित किया गया है। इस वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सापेक्ष वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित होने के पश्चात सम्पूर्ण 23.00 कि0मी0 लम्बाई में आ रही भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित हो जायेगी, जिसके पश्चात लोक निर्माण विभाग सम्पूर्ण 23.00 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण करा सकेगा। यह मार्ग एन0एच0–58 तथा एन0एच0–94 को सीधे आपस में जोडेगा, जिससे स्थानीय जनता जिसकी संख्या--1080 है, को प्रत्यक्ष रुप से लाभ मिलेगा, तथा दैवीय आपदा के समय भी एन0एच0 के बन्द होने की स्थिति में यह मार्ग एक वैकल्पिक मार्ग के रुप में प्रयोग में लाया जा सकेगा। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस मार्ग का निर्माण डबल लेन में कराये जाने की घोषणा की गई थी, किन्तु दिनांक 19.09.2014 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधानसभा वार समीक्षा बैठक में इस मार्ग का निर्माण डेढ लेन में कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। यदि यह मार्ग डबल लेन में निर्मित किया जाता है तो वनभूमि का क्षेत्रफल भी अधिक होगा। पूर्व में उक्त मोटर मार्ग का प्रस्ताव 7.00 मीटर चौडाई में गठित कर ऑन लाइन किया गया था, जिसमें 952 वृक्ष एवं कुल प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल 5.075 हे0 है जिसमें मार्ग कार्य हेतु 4.41 हे0 आरक्षित वनभूमि 0.280 हे0 सिविल वनभूमि एवं 0.385 हे0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है। इसके अतिरिक्त 0.329 हे0 नाप भूमि का उपयोग मक डिस्पोजल/डम्पिंक जोन हेतु किया जायेगा। उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों का कम करने हेतु 7.00 मीटर चौडाई में वनभूमि प्रस्ताव गठित करने हेतु निर्देश दिये गय है। जिनके अनुपालन में वनभूमि का क्षेत्रफल न्यूनतम रखने की दृष्टि से यह वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 7.00 मीटर चौड़ाई में गठित किया गया है।

भूवैज्ञानिक द्वारा इस मार्ग का सर्वेक्षण कर लिया गया है। पेड़ों की गणना भी 7.00 मीटर चौडाई में की गई है, जिसके अनुसार कुल 952 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। आरक्षित वन भूमि मे बॉज के शून्य वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, एवं सिविल/नापभूमि में बॉज के शून्य वृक्ष प्रभावित हो रहे है, (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।) प्रस्ताव में वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु मार्ग की चौड़ाई 7.00 मीटर ली गयी है। इससे प्रत्यक्ष रुप से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूचि निम्न प्रकार है–

कमांक	ग्राम सभा का नाम	कोड संख्या	परिवारों की संख्या	आबादी
1.	शिवपुरी	044503	60	322
2.	हाड़ीसेरा	0044439	79	367
3.	रोन्देली	044447	35	169
4.	मटियाला	044494	18	71
5.	पसर मय क्यारक	044498	24	113
6.	ढाईगला	044495	10	38
			योग–	1080

मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैं।

1. आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल – 4.41 है0 (6300 मी0 x 7.00 मी0)
2. सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल – 0.28 है0 (400 मी0 x 7.00 मी0)
3. नाप भूमि का क्षेत्रफल – 0.385 है0 (550 मी0 x 7.00 मी0)
4. मक डिस्पोजल – 0.329 है0 (65.80 मी0 x 50.00 मी0)

इस प्रकार आरक्षित वनभूमि क्षेत्रफल (मार्ग के हेतु 4.41) = 4.41 है0 व सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल 0.28 है0 हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

सहायक अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी रेंज
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

वन क्षेत्राधिकारी
नरेन्द्रनगर राजि
नरेन्द्रनगर, (टि0ग0)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(नरेन्द्रनगर)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग
मुनिकीरेती